सुरेश कुमार सिंह

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

आपराधिक अपील संख्या 939/3009

06 मई 2009

[न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा, न्यायमूर्ति मुकुन्दकम शर्मा]

दंड संहिता, 1860- धारा 304 बी और धारा 498 ए - निचली अदालतों द्वारा दोषसिद्धि - अपील पर, अभिनिर्धारित : महिला की मृत्यु शादी के 7 साल के भीतर नहीं हुई थी - यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि मृत्यु से ठीक पहले मृतका पर क्रूरता बरती गई थी - धारा ११३-ए व ११३-बी के अधीन उपधारणा आकृष्ट नहीं होती है। अपीलकर्ता को धारा 304 बी के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता - यद्यपि उसे धारा 498 ए के तहत सही तरीके से दोषी ठहराया गया था - उस आधार पर दी गई सजा संवहनीय है - साक्ष्य अधिनियम, 1872 धारा 113 ए, 113 बी।

विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को अपनी पत्नी की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी और 498 ए के तहत दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के आदेश को बरकरार रखा।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलकर्ता का बचाव यह था कि एसी कोई साक्ष्य नहीं थी जिससे यह दर्शित हो कि मृत्यु से ठीक पहले उसके साथ क्रूरता की गई थी।

न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया

1. धारा 304 बी भारतीय दंड संहिता का एक अवयव ये है कि मृत्यु से पहले 7 साल की अवधि के भीतर विवाह हुआ हो। ऐसी कोई आवश्यकता धारा 498ए में नहीं है। मृतका के भाई पी.डब्ल्यू. 1 की साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने केवल एक घटना के बारे में बात की थी जिसके संबंध में उसकी साक्ष्य विधि में स्वीकार्य था, वह यह है कि जब मृतिका 'गौना' के छह महीने बाद अपने माता-पिता के घर वापस आई थी। तब गौना समारोह में उसने उसे सूचित किया था कि यदि उसने अंगूठी और चेन नहीं दी, तो आरोपी उसे मार सकते हैं। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि मामला यहीं तक सीमित था क्योंकि इसमें उन्होंने अपीलकर्ता से बात की थी। इसके बाद वह आया और उसे लेकर चला गया, मामला वहीं सुलझ गया। उसके बाद इस आधार पर कोइ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया हो, एसा दर्शित नहीं था। जहाँ तक उसके द`वारा बतायी गयी दूसरी घटना का संबंध है, ये वो घटना थी जो उसने उसकी पत्नी व परिवार की अन्य महिला सदस्यों से सुनी थी। अतः यह सुनी

सुनाइ साक्ष्य थी क्योंकि उन्हें परीक्षित नहीं किया गया। (१६, १७) (१०७८-सी.एफ)[पैराज 16,17] [1078 सी एफ]

2. भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी को आकर्षित करने के लिए, अभियोजन पक्ष के लिए यह स्थापित करना अनिवार्य है कि मृतका के साथ 'उसकी मृत्यु से ठीक पहले' क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक लचीला शब्द है। इसका अनुप्रयोग किसी विशेष मामले में प्राप्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर निर्भर करेगा। इसके लिए कोई निश्चित अवधि नहीं बताई जा सकती. हालाँकि, इसे 'निकटता परीक्षण' नामक परीक्षण से गुजरना होगा। य़द्यपि, अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक है कि वह रिकॉर्ड पर लाए कि दहेज की मांग पीड़िता की मृत्यु से बहुत पहले नहीं हुई थी और न ही बहुत पुरानी थी। कुछ उत्पीड़न जो मृत्यु से एक वर्ष पहले हुआ था, बिना कुछ और बताए, उसे क्रूरता नहीं माना जा सकता था जो मृतका की मृत्यु से तुरंत पहले किया गया था। यह निकटता परीक्षण को पूरा नहीं करता है। चूँकि मृत्यु सात वर्ष की अवधि के भीतर नहीं हुई थी और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले मृतका पर कोई क्रूरता की गई थी, न तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के संदर्भ में कोई अनुमान लगाया जा सकता था और न ही साक्ष्य अधिनियम की धारा ११३ बी की उपधारणा काायम की जा सकती है एवं न ही यह निष्कर्ष निकाला जाए कि अपीलकर्ता धारा 304 बी के तहत अपराध करने का दोषी है। अपीलकर्ता को भारतीय दंड

संहिता की धारा 498ए के तहत अपराध करने का दोषी सही रूप से पाया गया। अतः इस आधार पर उसकी दोषसिद्धि बरकरार रखी जाती है। [पैरा 19, 21, 22, 23, 24] [1079-सी-डी; 1082-जी-एच; 1083-बी-सी]

सतवीर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2001) 8 एससीसी 633; हरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2006) 1 एससीसी 463; ठक्कन झा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य (2004) 13 एससीसी 348; बलदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य (2008) 13 एससीसी 233; कामेश पंजीयार उर्फ कमलेश पंजीयार बनाम बिहार राज्य (2005) 2 एस.सी.सी. 388, राम बदन शर्मा बनाम बिहार राज्य (2006) 10 एस सी सी 115, देवीलाल बनाम राजस्थान राज्य 2007 (12) स्केल 265, राजस्थान राज्य बनाम जग्गूराम 2008 (1) स्केल 22- अवलंब लिया गया।

केस कानून संदर्भित

(2001) 8 एससीसी 633	अवलंब लिया गया	पैरा 19
(2006) 1 एससीसी 463	अवलंब लिया गया	पैरा 19
(2004) 13 एससीसी 348	अवलंब लिया गया	पैरा 19
(2008) 13 एससीसी 233	अवलंब लिया गया	पैरा 19
(2005) 2 एससीसी 388	अवलंब लिया गया	पैरा 19
(2006) 10 एससीसी 115	अवलंब लिया गया	पैरा 19

2007 (12) स्केल 265 अवलंब लिया गया पैरा 19

2008 (1) स्केल 22 अवलंब लिया गया पैरा 19

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 939/2009

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खंडपीठ, लखनऊ आपराधिक अपील संख्या 186/1996 में द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 05.03.2008 से

अपीलकर्ता की ओर से नवीन कुमार सिंह, प्रकाश झा, रोहित अग्रवाल, विशाल अरुण ।

प्रत्यर्थी की ओर से प्रमोद स्वरूप, मनोज कुमार दिवेदी, गुन्नम वेंकेटेश्धर राव ।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा द्वारा सुनाया गया।

1. याचिका स्वीकार की गइ।

2. भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी (संक्षेप में भा.दं.सं.) में 'उसकी मृत्यु से ठीक पहले' शब्द का अनुप्रयोग वतर्मान मामले के तथ्यों व परिस्थितयों में शामिल प्रश्न है।

3. आशा देवी (मृतका) का विवाह अपीलकर्ता से हुआ था। हालाँकि, उनकी शादी की तारीख विवादित है। क्या उनका विवाह 1983 मेंे हुआ

या १९८७ में। आशा देवी को 8.12.1993 को मृत पाया गया था, उन्हें काफी जलने की चोटें लगी थीं।

4. दिनांक 8.12.1993 को लगभग शाम 5.10 बजे मृतका के भाई अजमेर सिंह (पी.डब्लू. 1.) द्वारा अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में एफ आइ आर) दर्ज की गई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया कि -

> "मैं अजमेर सिंह पुत्र रनबहादुर सिंह निवासी निगोही, थाना डीह जनपद रायबरेली, मेरी बड़ी बहन आशा देवी की शादी 1987 में सुरेश कुमार सिंह पुत्र मनबोध सिंह के साथ ग्राम बुढवार, थाना डीह, जनपद रायबरेली में हुई थी। शादी के बाद मेरे जीजा, उनके छोटे भाई और बहन कुसुमा उसे परेशान कर रहे थे और दहेज की मांग कर रहे थे। मेरे जीजा ने अपनी बहन की शादी के समय 5000/- रुपये की मांग की थी। यह बात मेरी बहन ने मुझे बताई और पैसे दे दिए। इसके बाद अधिक पैसे, अंगूठी और चेन की मांग की गई, इसी सिलसिले में वह एक साल पहले जलाइ गई थी। मैंने उसका इलाज करवाया था और उसे आज दिनांक 8.12.1993 को लगभग 12 बजे जीवित रहने के लिए कहा था। एक अज्ञात व्यक्ति जो उसका पड़ोसी है, ने मेरे घर

आकर सूचना दी कि आपकी बहन की हत्या कर दी गयी है और उसका शव पड़ा हुआ है और उसका दाह संस्कार करने की तैयारी कर रहे हैं। में घटनास्थल पर पहुंचा और देखा कि मेरी बहन जली हुई और मृत पड़ी थी। मुझे विश्वास है कि सुरेश सिंह, जिलाजीत सिंह पुत्र मनबोध सिंह और उनकी बड़ी बहन कुसुमा पुत्री मनबोध सिंह पुत्र बुधवार, पी. एस. डीह, जिला रायबरेली ने मेरी बहन को जलाकर मार डाला है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि रिपोर्ट दर्ज कर मुकदमा चलाया जाए।''

5. इसके अलावा, हम मृतका के शरीर पर शव परीक्षण सर्जन द्वारा पाई गई चोटों पर भी गौर कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं:

"खोपड़ी के आगे और पीछे, गर्दन, पेट के ऊपरी हिस्से के साथ पूरी छाती के सामने और किनारे, कांख और पूरी बांह और कंधे के पिछले हिस्से और स्कैपुलर क्षेत्र पर से १ से ३ डिग्री तक जलन, दाहिनी कोहनी क्षेत्र से मवाद का रिसाव। कुल मिलाकर लगभग 40% जल गया।

डॉक्टर की राय में मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व जलने की चोटों के परिणामस्वरूप सदमा है।

6. जांच अधिकारी ने आरोप पत्र दाखिल किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी और धारा 498 ए के तहत संज्ञान लिया गया

अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में चार गवाहों का परीक्षण किया गया।

7. अपीलकर्ता की ओर से उठाए गए तर्क थे: (1) कि मृतका की मृत्यु दुर्घटना में कारित हुई; (2) विवाह वर्ष 1983 में हुआ था जो कि उसकी मृत्यु की तारीख से "सात साल की अवधि के भीतर" नहीं है, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और 304 बी लागू नहीं होती।

8. दिनांक 30.4.1996 के एक निर्णय और आदेश के कारण, श्रीमती कुसुमा देवी एवं जिलाजीत सिंह को बरी करते हुए विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी और 498 ए के तहत दोषी ठहराया और धारा 304 बी भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए सात साल के कठोर कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत अपराध के लिए तीन साल के कठोर कारावास और 2000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अन्य बातों के साथ निर्णीत किया-

(i) शादी साल 1987 में हुई थी.

(ii) अभियोजन पक्ष मृतका के परिवार के सदस्यों से दहेज की मांग को साबित नहीं कर पाया है।

(iii) अपीलकर्ता ने घटना की तारीख से एक वर्ष पहले उसे जलाने का प्रयास किया था।

9. अपीलकर्ता द्वारा उसके विरुद्ध की गई अपील को आक्षेपित निर्णय के आधार पर खारिज कर दिया गया है।

10. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नवीन कुमार सिंह ने अन्य तर्कों के साथ-साथ ये तर्क प्रस्तुत किए कि -

(i) विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि की है, क्योंकि वे इस बात पर विचार करने में विफल रहे कि यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की गइ थी कि विवाह वर्ष 1983 में हुआ था, न कि वर्ष १९८७ में और इस प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 की धारा 113 ए या धारा 113 बी में प्रावधानित कोई भी उपधारणा लागू नहीं की जा सकती थी।

(ii) यह प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं की गइ है कि मृतका के साथ उसकी मृत्यु से ठीक पहले किसी तरह की क्रूरता कारित की गई थी, इसलिए आक्षेपित निर्णय असंवहनीय हैं।

11. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोदस्वरूप का तर्क रहा है कि-

(i) दो निचली अदालतों द्वारा द्वारा पारित समवर्ती निष्कर्षो को ध्यान में रखते हुए, इस अदालत द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

(ii) 'मृत्यु से ठीक पहले' शब्द में किसी निश्चित शब्द की परिकल्पना नहीं की गई है और प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसका उचित अर्थ निकाला जाना चाहिए।

(iii) चूंकि प्रश्नगत घटना से एक वर्ष पूर्व दहेज की मांग की गई थी और उसे जलाने का प्रयास भी किया गया था, इसलिए आक्षेपित निर्णय अखंडनीय है।

12. यहां उठाए गए कानूनी विवादों पर ध्यान देने से पहले, हम प्रथम सूचनाकर्ता अजमेर सिंह के बयानों पर गौर कर सकते हैं, जिसके अनुसार, शादी अप्रैल-मई 1987 में हुई थी। अपीलकर्ता के परिवार की दहेज की मांग उस समय पूरी नहीं हो सकी। शादी के एक महीने बाद वह अपने मायके वापस आई और अपनी मां और अन्य महिला सदस्यों को बताया कि अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों ने एक चेन और एक अंगूठी की मांग की थी और उसके साथ मारपीट भी की थी। इसके छह महीने बाद कथित तौर पर जब 'गौना' समारोह हो रहा था, उसे मृतका द्वारा सूचित किया गया था कि उन्हें उसे एक अंगूठी और एक चेन देनी चाहिए

अन्यथा अपीलकर्ता उसे मार डालेगा। उन्हें 'मैकू' की बेटी, जिसकी शादी अपीलकर्ता के गांव में हुई थी, ने बताया कि मृतका की मृत्यु से एक साल पहले आरोपियों ने उसे जला दिया था। वह मृतका को लेकर आई थी और डॉक्टर छेदी सिंह से उसका इलाज कराया था. आरोपी व्यक्तियों ने उसका कोई इलाज नहीं कराया और मृतका को बड़ा घाव हो गया था। ठीक होने के बाद उसने मृतका को अपीलकर्ता के चचेरे भाई के साथ वापस भेज दिया और उसके बाद मृतका छह महीने तक अपने पति के घर में रही।

यद्यपि, अपनी जिरह में उसने यह स्वीकार किया कि अपीलकर्ता का विवाह केवल आशा देवी से हुआ था। उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया कि शादी 14 साल पहले हुई थी। एक प्रश्न के उत्तर में कि शिव कुमारी का नाम 1988 की मतदाता सूची में अपीलकर्ता की पत्नी के रूप में दर्ज हुआ था, उसने निम्नानुसार कहा कि -

> "मुझे नहीं पता कि शिव कुमारी का नाम 1988 की मतदाता सूची में सुरेश कुमार सिंह की पत्नी के रूप में कैसे दर्ज है। मुझे नहीं पता कि शिव कुमारी पत्नी सुरेश कुमार सिंह को ग्राम सभा के सदस्य के रूप में चुना गया था।"

उसके पास यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज नहीं था कि उसने अपनी बहन के इलाज की व्यवस्था की थी।

16.8.1995 को उसका परीक्षण किया गया।

निर्विवाद रूप से, 5.9.1995 को या उसके आसपास, उसके द्वारा अपने बयान में सुधार के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, जो इस प्रकार है-

> "यह कि 16.08.95 को आवेदक अजमेर सिंह पुत्र रणबहादुर सिंह, निवासी ग्राम निगोही, थाना डीह, जिला रायबरेली का बयान दर्ज किया गया था। बयान के पृष्ठ 4 पर पैरा 3 में यह लिखा गया है कि, "हमारे यहां लड़की के शादी के बाद ससुराल आते ही नाम बदल दिया जाता है, जबकि वास्तव में आवेदक ने यह कहा था कि, "हमारे यहां शादी के बाद ससुराल आने के तुरंत बाद लड़की का नाम नहीं बदला जाता है।" इसलिए, न्यायहित में, इस आशय का संशोधन होना आवश्यक है।
>
> इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि कथन में "बदल दिया जाता है'' के स्थान पर ''नहीं बदला जाता है' पढ़ा जावे।
>
> इस प्रकार, उन्होंने अपने पहले बयान में स्वीकार किया था कि उनके समुदाय में दुल्हन के ससुराल वालों द्वारा उसका नाम बदलने की प्रथा प्रचलित है।''

13. निर्विवाद रूप से, 1983 की मतदाता सूची में अपीलकर्ता की पत्नी का नाम राजकुमारी दर्शाया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि पति के

परिवार द्वारा दुल्हन का नाम बदलने की प्रथा के अस्तित्व के संबंध में विवाद है। पी. डब्ल्यू 1, जो कि मृतका का बड़ा भाई है, यह भी नहीं बता सका कि शादी किस माह में हुई थी। जब बचाव पक्ष ने विवाह की तारीख के संबंध में विवाद उठाया था, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए और 113 बी व भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और 304 बी में निहित प्रावधानों का लाभ लेने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से इसे साबित करना अनिवार्य था। इससे पहले कि किसी व्यक्ति को अपराध करने का दोषी पाया जाए, अदालत को इस ठोस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि उसके तत्व प्रमाणित हो चुके हैं। उक्त उद्देश्य के लिए जहां एक ओर उक्त प्रावधानों के निर्माण के संसद के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए, इस बात पर भी संतुष्टि होनी चाहिए कि पूर्ववर्ती शर्तें पूरी हो गई है।

मतदाता सूची एक सार्वजनिक दस्तावेज़ है। यह चुनाव आयोग के अधिकार के तहत जारी किया जाता है। 1 जनवरी 1988 को प्रकाशित मतदाता सूची से यह दर्शित होता है कि सुरेश कुमार सिंह और शिव कुमारी पति-पत्नी थे और मकान नंबर 85 के निवासी थे। इशराज कुमारी के साथ उनके नाम क्रमांक 273, 274 और 275 पर दर्शित थे। शिव कुमारी के पति का नाम अपीलकर्ता के नाम के रूप में दर्शाया गया है। मतदाता सूची दोस्तपुर, बुधवारा के निवासियों के संबंध में थी। उपरोक्त पृष्ठभूमि में, न्यायालय को अजमेर सिंह द्वारा 5.9.1995 को दिए गए बयान में संशोधन के लिए कथित आवेदन पर विचार करना चाहिए था। इस तरह

के संशोधन का निर्देश किस आधार पर दिया गया, यह रिकॉर्ड से पता नहीं चलता है। हालाँकि, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने इस पर भरोसा करते हुए कहा कि विवाह वर्ष 1987 में हुआ था।

14. दहेज मृत्यु के खतरे को ध्यान में रखते हुए संसद ने वर्ष 1983 में अधिनियम संख्या ४६/१९८३ के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा ४९८-ए व भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा ११३-ए को शामिल किया और वर्ष 1986 में अधिनियम संख्या ४३/१९८६ के द्वारा वर्ष १९८६ में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी को शामिल किया गया। हालांकि भा.दं.सं. की धारा ३०४बी 19 नवंबर 1986 से लागू हुई।

15. विद्वान विचारण न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी लागू की, जो इस प्रकार है:

> "113 बी. दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा- जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व एसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया थ, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि एसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए "दहेज मृत्यु" का वही अर्थ है, जो भारतीय दंड संहिता (1860 का ४५) की धारा 304 बी में है।"

दहेज मृत्यु' की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के संदर्भ में शामिल की गई है, जो इस प्रकार है:

"304 बी. दहेज मृत्यु - (1) जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्रा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है एवं यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या पित के नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की थी, या उसे तंग किया था वहां ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा, और ऐसे पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, "दहेज" का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का २८) की धारा 2 में है।

(2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो

आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा।"

धारा 304 बी से जुड़ा स्पष्टीकरण दहेज का वही अर्थ बताता है जो दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 में निहित है, जो इस प्रकार है:

"2. 'दहेज' की परिभाषा- इस अधिनियम में, "दहेज" का अर्थ है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई या देने के लिए सहमत कोई भी मूल्यवान संपत्ति या सुरक्षा-

(ए) विवाह के एक पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष से या

(बी) विवाह के किसी पक्ष के माता-पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, विवाह के किसी पक्ष को या किसी अन्य व्यक्ति को,

उक्त पक्षों के विवाह के संबंध में विवाह के समय या उससे पहले या उसके बाद किसी भी समय, लेकिन उन व्यक्तियों के मामले में मेहर या महर शामिल नहीं है जिन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) लागू होता है।"

हमें भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के प्रावधानों पर भी गौर करना चाहिए, जो इस प्रकार है:-

"498 ए. किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द`वारा उसके प्रति क्रूरता करना - जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार

होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा एवं जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण-- इस धारा के प्रयोजन के लिए, "क्रूरता" से निम्नलिखित अभिप्रेत है -

(ए) जानबूझकर किया गया कोइ आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है, या

(बी) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोइ मांग पूरी करने के लिए प्रतीड़ित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोइ नातेदार एसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।"

16. भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के आवश्यक तत्वों में से एक तत्व मृत्यु से पहले सात साल की अवधि के भीतर विवाह है। ऐसी कोई आवश्यकता धारा 498 ए में नहीं है।

17. पी.डब्लू. 1 की साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने केवल एक घटना के बारे में बात की थी जिसके संबंध में उसकी साक्ष्य विधि में स्वीकार्य थी। वो ये थी कि जब मृतका 'गौना' समारोह के छह महीने बाद अपने माता-पिता के घर वापस आई थी, उसने उसको यह बताया था कि यदि उसने अंगूठी व चेन नहीं दी तो आरोपीगण उसकी हत्या कर सकते हैं। यह भी निर्विवादित है कि चूंकि उसने अपीलकर्ता से इस संबंध में बात की थी इसलिए मामला वहीं पर रुक गया था एवं उसके बाद वह आया और उसे ले गया। इस प्रकार मामला सुलझ गया। यह दर्शित नहीं था कि उसके बाद उस आधार पर कोई क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था।

जहां तक उसके द्वारा बताई गई दूसरी घटना का प्रश्न है, यह वह घटना थी जो उसने अपनी पत्नी और परिवार की अन्य महिला सदस्यों से सुनी थी। इस प्रकार, यह सुनी-सुनाइ बात थी, क्योंकि उनका परीक्षण नहीं किया गया था।

18. उपर्युक्त संदर्भ में, हम "मृत्यु से तुरंत पूर्व" शब्द के प्रभाव पर विचार कर सकते हैं।

संहिता की धारा 304 बी दंडात्मक अपराध का प्रावधान करती है। इसके निम्नलिखित घटक हैं:

(I) एक स्त्री की मृत्यु जलने या शारीरिक क्षति या सामान्य परिस्थितियों के अलावा होनी चाहिए

(ii) ऐसी मृत्यु विवाह की तारीख से सात साल के भीतर होनी चाहिए

(iii) मृत्यु से कुछ समय पूर्व, महिला उसके पति या पति के किसी नातेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार हुइ हो, और

(iv) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग से संबंधित होना चाहिए

19. उत्पीड़न, जिसे दहेज की मांग के संबंध में होना कहा गया है, जो कि पूर्व में उल्लेखित किया गया है, वह प्रश्नगत घटना के अलावा, घटना से एक वर्ष पहले हुआ था।

अब प्रश्न यह होगा कि क्या एक वर्ष का अंतराल "उसकी मृत्यु से ठीक पहले" माना जावेगा। हम प्रारंभ में, इस संबंध में प्रचिलत कुछ न्याय दृष्टांतों पर विचार करेंगे -

सतवीर सिंह और अन्य में बनाम पंजाब राज्य और अन्य [(2001)8 एससीसी 633], में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि:

''22. यदि धारा 304 बी लागू की जाए तो यह पर्याप्त नहीं है कि किसी समय दहेज की मांग को लेकर महिला के साथ उत्पीड़न या क्रूरता की गई थी। अपितु यह "उसकी मृत्यु से तुरंत पहले होनी चाहिए। उक्त वाक्यांश, निःसंदेह,

एक लचीली अभिव्यक्ति है और यह या तो उसकी मृत्यु से ठीक पहले या उसके कुछ दिनों के भीतर या यहां तक कि कुछ सप्ताह पहले की अवधि को संदर्भित कर सकता है। लेकिन उसकी मृत्यु की निकटता उस अभिव्यक्ति द्वारा इंगित धुरी है। "उसकी मृत्यु से ठीक पहले" शब्दों का प्रयोग की धुरी प्रदान करने में विधायिका का उद्देश्य यह है कि सभी संभावनाओं में उसकी मृत्यु ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न के परिणामस्वरूप हुई होगी। दूसरे शब्दों में, उसकी मृत्यु एवं दहेज संबंधी उत्पीड़न या उस पर की गई क्रूरता के बीच एक स्पष्ट संबंध होना चाहिए। यदि इस तरह के उत्पीड़न या क्रूरता और उसकी मृत्यु के बीच अंतराल समाप्त हो गया है, न्यायालय यह अनुमान लगाने की स्थिति में होगा कि सभी संभावनाओं में उसकी मृत्यु का तत्काल कारण नहीं रहा होगा। इसलिए यह न्यायालय का कार्य है कि वह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर यह तय करे कि क्या उस विशेष मामले में उक्त अंतराल "उसकी मृत्यु से तुरंत पहले" की अवधारणा को खत्म करने के लिए पर्याप्त था।''

(हरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य पर भी विचार करें [(2006) 1 एससीसी 463]}

निर्विवाद रूप से, उक्त प्रावधान को आकर्षित करने के लिए, अभियोजन पक्ष की ओर से यह स्थापित करना अनिवार्य है कि मृतका के साथ 'उसकी मृत्यु से ठीक पहले' क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था। इसमें कोई संदेह या विवाद नहीं हो सकता कि यह एक लचीला शब्द है। इसका अनुप्रयोग किसी विशेष मामले के तथ्यों व परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इसके लिए कोई निश्चित अवधि नहीं बताई जा सकती। हालाँकि, इसे 'निकटता परीक्षण' नामक परीक्षण से गुजरना होगा। हालाँकि, अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक है कि वह रिकॉर्ड पर लाए कि दहेज की मांग पीड़िता की मृत्यु से बहुत देरी से नहीं हुई थी और न ही बहुत पुरानी थी।

इसी प्रकार का एक प्रश्न ठक्कन झा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य [(2004) 13 एससीसी 348] में विचार के लिए आया था जिसमें इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि:

"ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रासंगिक प्रावधान में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "ठीक पहले" है। अभिव्यक्ति एक सापेक्ष शब्द है जिस पर प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में विचार किया जाना आवश्यक है और किसी भी समय-सीमा को तय करके कोई स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह अभिव्यक्ति निकटता परीक्षण के विचार से प्रकटित है। यह नहीं कहा जा सकता है कि "सून बिफोर" शब्द "इमीडिएटली बिफोर" शब्द का पर्याय है। इसका कारण साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 उदाहरण (ए)

में उल्लेखित किया गया है। "ठीक पहले" शब्द के भीतर आने वाली अवधि का निर्धारण, तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, न्यायालयों द्वारा निर्धारित किया जाना होता है। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों व परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हालाँकि, "ठीक पहले" अभिव्यक्ति का सामान्य अर्थ यह होगा कि क्रूरता या उत्पीड़न और मृत्यु के बीच अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। इनके मध्य एक निकटतम एवं सजीव संबंध का अस्तित्व अवश्य होना चाहिए।

(बलदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य [(2008) 13 एससीसी 233] भी देखें।

पुनः कामेश पंजियार उर्फ कमलेश पंजियार बनाम बिहार राज्य [(2005) 2 एससीसी 388], वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि:

> "जहां साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी और भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी को लागू किया जाता है वहाँ "ठीक पहले'' की अभिव्यक्ति बहुत प्रासंगिक है। अभियोजन यह प्रमाणित करने के लिए बाध्य है कि घटना से ठीक पहले क्रूरता या उत्पीड़न हुआ था और केवल उन्हीं मामलों में उक्त उपधारणाएं लागू होती हैं। इस संबंध में अभियोजन द`वारा साक्ष्य प्रस्तुत की जानी चाहिए। 'ठीक पहले'' एक

सापेक्ष शब्द है और यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और घटना से ठीक पहले की अवधि क्या होगी, इसके लिए कोई स्ट्रेट- जैकेट फॉर्मूला निर्धारित नहीं किया जा सकता है। किसी निश्चित अवधि को इंगित करना खतरनाक होगा एवं इस प्रकार निकटता परीक्षण का महत्व दहेज मृत्यु के अपराध को साबित करने, साथ ही ११३ बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत उपधारणा को आकर्षित करने के लिए, बढ़ जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी में प्रयुक्त अभिव्यक्ति ''मृत्यु से ठीक पहले' निकटता परीक्षण के विचार के साथ मौजूद है।"

राम बदन शर्मा बनाम बिहार राज्य [(2006) 10 एससीसी 115] में इस न्यायालय ने, जिसमें हममें से एक सदस्य था, ने अभिनिर्धारित किया है कि -

"35. इस अपराध के तीन मुख्य तत्व हैं: (ए) इस आधार पर अभियुक्त दवारा दहेज की मांग एवं उत्पीड़न किया गया है (बी) कि, मृतका की मृत्यु हो गई; और (सी) कि, मृत्यु शादी के सात साल के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में हुइ। जब ये कारक विश्वसनीय और ठोस

सबूतों से साबित हो गए, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के तहत दहेज हत्या की उपधारणा आकृष्ट होती है। उपरोक्त तथ्य धारा ३०४बी भारतीय दंड संहिता को आवश्यक रूप से आकृष्ट करते हैं। धारा 304 बी एक विशेष प्रावधान है जिसे देश में बड़ी संख्या में होने वाली दहेज हत्याओं से निपटने के लिए 1986 के एक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान मामले में, यदि मामले की परिस्थितियों का विश्लेषण धारा 304 बी भारतीय दंड संहिता की कसौटी पर किया जाए, तो धारा 304 बी भारतीय दंड संहिता के सभी तीन मूल तत्व सामने आते हैं। हस्तगत प्रकरण में सभी तीनों तत्व मौजूद हैं। दहेज की लगातार मांग की जा रही है और पति और ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न, अपमान और शारीरिक हिंसा और पिटाई की जा रही है। मृतका की शादी के सात साल के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु हो गई।"

{देवीलाल बनाम राजस्थान राज्य [2007 (12) डी स्केल 265 (पैरा 20), और राजस्थान राज्य बनाम जग्गू राम [2008 (1) स्केल 22 (पैरा 11)]] भी देखें।

20. विधि आयोग ने "दहेज मृत्यु और कानून सुधार: हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, भारतीय दंड संहिता, 1860 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में संशोधन" पर अपनी 91 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि इसमें चिंताजनक वृद्धि हुई है। ऐसे मामलों की संख्या जिनमें विवाहित महिला की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में होती है, जो कम से कम कहें तो अत्यधिक संदिग्ध होती हैं। उक्त मृत्यु दहेज की मांग के कारण होने से उन्हें दहेज से जोड़ा जाने लगा और इसीलिए इसे 'दहेज मृत्यु' नाम दिया गया।

21. कुछ उत्पीड़न जो मृत्यु से एक वर्ष पहले हुआ था, हमारी राय में, बिना कुछ और किए, मृतका की मृत्यु से ठीक पहले की क्रूरता नहीं माना जा सकता था एवं यह निकटता परीक्षण को पूरा नहीं करता है।

22. चूंकि हमारी राय में, मृत्यु सात साल की अवधि के भीतर नहीं हुई थी और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले मृतका पर कोई क्रूरता की गई थी और न ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी की उपधारणा आकर्षित हुइ, न ही यह निष्कर्ष निकल सका कि अपीलार्थी धारा ३०४बी के तहत अपराध का दोषी है।

23. हमारे उक्त विवेचन के अनुसार कि मृत्यु, विवाह की तारीख से सात साल के भीतर नहीं हुई। अतः धारा 113 ए अथवा ११३बी भारतीय

साक्ष्य अधिनियम के तहत किसी तरह की उपधारणा आकर्षित नहीं होती है।

24. हालाँकि, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत अपराध करने का दोषी सही ठहराया गया है। इसलिए इस आधार पर उस पर अधिरोपित दण्ड बरकरार रखा जाता है।

25. उपरोक्त कारणों से अपील को आंशिक रूप से और उपरोक्त निष्कर्षों के अधीन स्वीकार किया जाता है

डी. जी. अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी दीपेन्द्र माथुर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही पामाणिक माना होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।